2022/405

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांट **बनाम** **अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट**

श्री मोहनलाल पुत्र श्री नोपाजी लौहार
निवासी ग्राम व पोस्ट वीरवाडा
तहसील पिण्डवाडा
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 79 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28.12.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 02.11.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम वीरवाडा स्थित प्रार्थी के रिहायशी मकान सं. 262 से दक्षिण की ओर सटे हुए, पतरोंवाला मकान सं. 263 जो ध्वस्त कर दिया गया है, के मूल पट्टा व मालिकाना हक के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति एवं अनुसूचि ए से डी में अंकित सूचनाओं की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये हैं । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 02.11.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम वीरवाडा स्थित प्रार्थी के रिहायशी मकान सं. 262 से दक्षिण की ओर सटे हुए, पतरोंवाला मकान सं. 263 जो ध्वस्त कर दिया गया है, के मूल पट्टा व मालिकाना हक के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति एवं अनुसूचि ए से डी में अंकित सूचनाओं की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना ग्राम पंचायत वीरवाडा से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा अपीलांट का मूल आवेदन जरिए पत्र क्रमांक/लो.सू.अ./रेकर्ड/2022/1452 दिनांक 11.11.2022 के द्वारा ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत वीरवाडा को स्थानान्तरित कर दिया था। चूंकि ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत वीरवाडा के अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरोही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। Bhal/ss (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:01:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner